

02-12-2025

To, The Manager - Listing National Stock Exchange of India Ltd. **Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex** Bandra (East) Mumbai - 400 051 Tel No. 022-2659 8237 /38

Symbol: DHAMPURSUG

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 Tel No.022-22722039/37/3121 **Security Code: 500119**

The General Manager – DSC

Dear Sir,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published today i.e 2nd December, 2025 pertaining to "Transfer of Unpaid and Unclaimed Dividend amount for Financial Year 2018-19 (w.r.t Interim Dividend) and the underlying Equity Shares on which dividend remains unpaid/unclaimed for a period of seven (7) consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority". The Company has requested these Equity Shareholders to submit their claim. The advertisement copies will also be made available on the Company's website at the following web link: www.dhampursugar.com

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

For Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goel Company Secretary M. No. 22787

More headroom for manufacturing stocks

Manufacturing index outperformed mkts, surging 26% in past 9 months

PUNEET WADHWA & DEEPAK KORGAONKAR

New Delhi/Mumbai, 1 December

Manufacturing-related stocks may not be fully reflecting the stellar growth in the economy as seen in the recent gross domestic product (GDP) numbers for July-September period of 2025-26 (FY26) at 8.2 per cent, said analysts.

The GDP growth was led by the manufacturing sector, which grew 9.1 per cent during the period under review (7.7 per cent in Q1), despite US tariff-related concerns.

"A lot of export-oriented units (EOUs) may not have performed to their full capacity, given the US tariff overhang. A large number of such units would be in the mid and smallcap (SMID) space. So to that extent, the performance of related stocks is not reflecting the growth potential. Once there is clarity on tariffs, exports are likely to pick up, which can then boost the stock performance as well, especially in the SMID universe,' said G Chokkalingam, founder and head of research at Equinomics Research.

At the bourses, Nifty India Manufacturing index has outperformed the market by surging 26 per cent in the past nine months after a strong uptick in industrial growth. The benchmark Nifty 50 was up 18.4 per cent during the same period, data shows.

The Nifty India Manufacturing Index aims to track the performance of the companies selected from the combined universe of Nifty 100, Nifty Midcap 150 and Nifty Smallcap 50 index based on 6 month average free-float market capitalisation within the eligible basic industries that broadly represent the manufacturing sector.

Automobiles & auto compo-



Report card

Report o	ard			Racing	ahead
Company	Share price (₹)*	% char	nge#	— Nifty India	Mfg
Bharat Electroni	cs 417.3	69.4		■ Nifty 50	130
Cummins India	4,544.2	67.2			127 ¬
TVS Motor	3,661.8	64.5			120
BHEL	291.0	62.4		₩ Ŋ	M
Uno Minda	1,309.1	58.5			110
Polycab India	7,401.0	57.0			118
Navin Fluorine	5,750.0	52.8		■ <i>d</i> 1	
Solar Industries	13,248.0	52.1		D100	100
Ashok Leyland	160.3	50.6		└ Base = 100	
Eicher Motors	7,125.5	49.3		Oct 10,'25	Dec 1,'25
Filtered on Nifty	India Manufactui	ring inde	x companies	,	

nents accounted 27.04 per cent of the index distribution, followed by capital goods (19.79 per cent), healthcare (17.09 per cent), metals & mining (13.66 per cent), oil gas & consumable fuels (9.39 per cent)

*As on Dec 1; #over February 28, 2025

and chemicals (7.37 per cent). In the second quarter of the current financial year (Q2), Nifty India Manufacturing index had gained 1.5 per cent, as against 3.5 per cent negative return recorded by Nifty 50.

Outstanding show

Among stocks, out of the 74 from the Nifty India Manufacturing index, 32 have outperformed by recording over 26 per cent returns in the past nine months.

Public sector enterprises (PSEs) like Bharat Electronics, Bharat Electricals (BHEL). Solar Industries and Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) were up between 50 per cent and 69 per cent.

Minda, Ashok Leyland, Eicher independent market analyst.

Motors, Samvardhana Motherson International, Mahindra & Mahindra (M&M), and MRF from the automobiles sector have rallied in the range of 45 per cent to 65 per cent.

Source: Bloomberg

Reliance Industries (31 per cent), Hindalco Industries (28 per cent), Maruti Suzuki India (35 per cent), and Vedanta (35 per cent) are among other notable stocks that outperformed the manufacturing index.

"After a long time, the manufacturing sector has been at the forefront of GDP growth. I think this is more to do with hope of higher consumption across auto, fastmoving consumer goods (FMCG) and the light engineering segments in the backdrop of goods and services tax (GST) rate rejig. Manufacturing-related stocks could reflect this optimism more in the December 2025 quarter as the GST cut-related benefits become more visible in companies' operational and financial perform-TVS Motor Company, Uno ance," said Ambareesh Baliga, an

YOUR MONEY

NON-DISCLOSURE OF FOREIGN ASSETS

Beware the severe penalties under Black Money Act

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has identified over 25,000 taxpayers who failed to disclose foreign assets and income in their tax filings for 2024-25. It has begun sending SMS and email alerts advising them to revise their returns.

What must be disclosed

Residents and ordinarily resident individuals must report all foreign assets in Schedule FA, including overseas bank or custodial accounts. foreign equity or debt interests (including ESOPs), immovable property, trusts, and any other asset where the taxpayer is a legal owner, beneficial owner, or beneficiary.

"Even assets held for a day or those that generated no income must be disclosed, with no minimum threshold. All foreignsourced income must be reported in Schedule FA or FSI (foreign source income). Taxes paid abroad must be disclosed in Schedule TR (tax relief) to claim foreign tax credit." says Rohinton Sidhwa, partner, Deloitte India.

Even dormant, closed, joint or inherited accounts must be reported. "Assessees should not estimate values, skip low-balance accounts, or combine the value of multiple assets. Schedule FA must follow the calendar year, not the financial year. In Schedule FSI/DTAA (double taxation avoidance agreement), income type, country code, and tax credit details must be filled carefully and match Form 67 and foreign tax deduction certificates," says Sandeep Jhunjhunwala, partner, Nangia Group.

Respond quickly to an alert

Verify the authenticity of the alert from the e-filing portal. "Review the flagged foreign asset or income and collect supporting documents such as bank statements, investment reports, Form 16, ESOP records, and overseas tax papers to check for omissions. If something was missed, revise the ITR or file an updated return, as applicable," says Jhunjhunwala.

How to revise ITR A missed foreign asset or income

can be corrected through a revised return under Section 139(5). This can be done until December 31 or before the assessment is completed.

'The revised ITR must correctly update Schedules FA, FSI and TR. If this window has closed, an updated return can be filed within 48 months, subject to certain restrictions for foreign assets. Form 67 must be filed if foreign tax credit is claimed," says Jhunihunwala.

Additional tax and interest must be paid before filing the return. Sidhwa adds that taxpayers having foreign assets or income should not use ITR-1 and ITR-4.

Mistakes to avoid

While filing Schedule FA, many assessees report income-generating assets only, report holding status as on March 31 instead of December 31, and rely on AIS or Form 26AS, which often omit foreign income and holdings.

Key provisions you should be aware of

Sections 139(1) & 139(5): Mandatory reporting of foreign assets; non-reporting cannot be corrected once time for revision has lapsed

Sections 147/148: Reassessment can be initiated for escaped foreign income or unreported foreign assets

for under-reporting or misreporting of income Sections 276C, 276CC & 277:

Section 270A: Penalties

Prosecution for wilful attempt to evade tax, failure to furnish returns, or for

making false statements

must maintain supporting documents such as bank statements and investment proofs.

The writer is a New Delhi-based independent journalist

"Errors also arise from using

incorrect exchange rates instead

of the prescribed State Bank of

India (SBI) telegraphic transfer

buying rate, misclassifying resi-

dential status, and overlooking

Undisclosed foreign income is

taxable at normal slab rates with

interest and penalties of up to

200 per cent for under-reporting

Bhuddi observes that the

Black Money Act imposes a tax

of 30 per cent on undisclosed

foreign assets (without deduc-

tions or set-off), along with a

penalty of three times the tax.

include ₹10 lakh for non-filing,

and ₹10 lakh per year for inac-

curately reporting or failing to

Those receiving a CBDT alert

despite having no foreign hold-

ings must respond via the com-

pliance portal. "Verify your AIS or

TIS on the online tax portal and

file a rectification request via the

e-Nivaran portal if the informa-

tion is incorrect," says Deepashree Shetty, partner-global employer services, tax and regu-

Shetty adds that taxpayers

latory services, BDO India.

Additional fixed penalties

the implications of the Black Money Act," says Gaurav

Bhuddi, senior manager,

PN Chopra & Co.

or misreporting.

furnish details in

If you do not have

foreign assets

Schedule FA.

Tax and penalties

direct tax division, Dewan

How to report death of a family member for Aadhaar records?

Over 20 million Aadhaar numbers of deceased people have been disabled to improve the integrity of the database, said the organisation that issues unique identity number. The Unique Identification Authority of India (UIDAI) did so to reduce the risk of identity fraud.

Why deactivation matters

If the Aadhaar of a deceased per-

Read full report here: mybs.in/2erjthp

son remains active, it may be misused for accessing subsidies, opening financial accounts, or claiming benefits.

Report a family member's death online

To make the process more systematic, UIDAI introduced a "reporting of death of a family member" feature on the myAadhaar portal

currently covers deaths registered in 25 states and Union Territories that are linked to the Civil Registration System, with the remaining jurisdictions in the process of being integrated.

earlier this year. This service

How online reporting works?

A family member can initiate the process on the myAadhaar portal

• Authenticate their own identity through the portal. Provide the deceased

person's Aadhaar number Enter the Death Registration

Number and basic details. UIDAI then verifies the information before taking a

decision on whether to deactivate the Aadhaar number.

COMPILED BY AMIT KUMAR

DHAMPUR

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: Dhampur, Distt. Bijnor-246761, U.P Corp. Office: 6th Floor, Max House, Okhla Phase-III, New Delhi-110020 CIN- L15249UP1933PLC000511, Ph: 011- 41259400 Email Id: investordesk@dhampursugar.com Website: www.dhampursugar.com
PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION TO ALL EQUITY SHAREHOLDERS

OF DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

FOR TRANSFER OF UNPAID DIVIDEND IN RESPECT OF FINANCIAL YEAR (FY) 2018-19 (INTERIM) AND THE UNDERLYING EQUITY SHARES ON WHICH DIVIDEND IS UNPAID/ UNCLAIMED FOR SEVEN CONSECUTIVE YEARS BEGINNING FY 2018-19 TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND ("IEPF")

Shareholders are hereby informed that in pursuance to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the rules"), as amended/modified from time to time, every Company is required to mandatorily transfer to the IEPF, the money in the Unpaid Dividend Account of a Company which remains uppaid or unclaimed for a period of 7 (seven) years from the date it was transferred to such account.

By this notice we wish to apprise you that pursuant to the said provisions, the Interim Dividend declared by the Company for the Financial Year 2018-19, which remained unclaimed for a period of Seven Years is due for transfer to IEPF on 06th March, 2026. The corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the rules.

The Company has already sent Individual Notices at the latest available address of the shareholders whose dividends are lying unclaimed for the last 7 (Seven) consecutive years and whose shares are liable to be transferred to the Demat Accoun of IEPF Authority, advising them to claim the dividend expeditiously. The complete list of such Shareholders to whom communication has been sent along with the

Adhering to the various requirements set out in the Rules.

details of dividend pertaining to them is available on the website of the Company at http://www.dhampursugar.com. In this connection, pls note as under

In case shares are held in physical form: Shareholders, holding shares in ohysical form and whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspense Account and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPE. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed to be non-negotiable

In case shares are held in demat mode: Shareholders holding shares i dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares to the Demat account of the IEPF. The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is specific order of Court/tribunal restraining transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

Therefore, we request you to submit your claim by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent or Company at the addresses given below or through email:

(i) A formal letter duly signed by holder and all the joint holders, if any

(ii) Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and (iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholder by 28th February, 2026, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, transfer the liable dividend and Equity Shares to the IEPF Authority by the due date as per procedure stipulated in the Rules without any further notice.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Dividend that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said

Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Demat Accour you may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount(s) and the shares, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available on the website i.e. www.iepf.gov.in.

For any queries on the subject matter, you may write/e-mail us at the addresses re Transfer Agent

To Company	To Registrar & Share Transfer Agent
Dhampur Sugar Mills Limited 6th Floor, Max House, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi - 110020 Contact No.: 011-41259400 E-mail : investordesk@dhampursugar.com	Extension New Delhi - 110055 Ph. No.: 011-42541234/23541234

For Dhampur Sugar Mills Limited Aparna Goel Dated: 27.11.2025 Company Secretary



Cummins India Limited

Registered Office: Cummins India Office Campus, Tower A, 5th Floor, Survey No. 21, Balewadi, Pune 411 045, Maharashtra, India (CIN: L29112PN1962PLC012276) Tel.: (020) 67067000 Fax: (020) 67067015 Website: www.cumminsindia.com E-mail: cil.investors@cummins.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

(For transfer of equity shares of the Company to Investor **Education and Protection Fund (IEPF) Account)**

Notice is hereby given pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 (as amended from time to time) ('the Rules'), notified by the Ministry of Corporate Affairs.

The Rules, inter alia, contain provisions for transfer of all shares in respect of which a dividend has not been paid or claimed by shareholders for seven consecutive years or more to the name of the IEPF Account.

It is noticed from the records that certain shareholders of the Company have not encashed/claimed their dividends since FY 2018-19 (Interim Dividend), and the same remained unclaimed for seven consecutive years [i.e., none of the dividends declared since FY 2018-19 (Interim Dividend) has been claimed by

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose equity shares are liable to be transferred to the IEPF Account under the rules for taking appropriate actions.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website at www.cumminsindia.com. Shareholders are requested to refer to the web-link

http://www.cumminsindia.com/investors/dividend to verify the details of unencashed / unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Account.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules. In case of no valid claim in respect unclaimed dividends or equity shares is received from the shareholders, by March 12, 2026 or such other date as may be extended (if any), the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, transfer the unclaimed dividends and respective equity shares to the IEPF by the due date as per procedure stipulated in the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividends and equity shares transferred to the IEPF.

A copy of this notice will also be made available on the websites of Stock Exchanges, i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on the abovementioned website of the Company.

In case the shareholders have any query on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent and/ or the Company at below mentioned address:

MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Pvt. Ltd.)

Place: Pune

-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400 083. Tel. No: (022) 4918 6000 Fax: (022) 4918 6060 E-mail: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

CUMMINS INDIA LIMITED Cummins India Office Campus

Tower A, 5th Floor, Survey No. 21, Balewadi, Pune 411 045 Maharashtra, India Tel: (020) 6706 7000 Fax: (020) 6706 7015 E-mail: cil.investors@cummins.com

For Cummins India Limited

Vinaya A. Joshi

Company Secretary

Date: December 01, 2025 & Compliance Officer Making people's lives better by powering a more prosperous world



IIFL FINANCE LIMITED CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No. B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400 604 Tel: (91-22) 4103 5000 • Fax: (91-22) 2580 6654 E-mail: shareholders@iifl.com · Website: www.iifl.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Transfer of Equity Shares to the demat account of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act. 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time ("Rules"), the equity shares of the Company in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more are required to be transferred to the demat account of the IEPF Authority.

In compliance with the said Rules, the Company has sent individual notices to the concerned shareholders who have not claimed interim dividend declared during FY 2018-19 and onwards at their latest available address to claim their unpaid/unclaimed dividend on or before February 27, 2026. The complete details of such shareholders are made available on the website of the Company i.e., www.iifl.com. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed to be adequate notice by the Company for the purpose of transfer of shares to the demat account of the IEPF Authority.

In case of any queries/clarifications, the shareholders may contact the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at:

MUFG Intime India Private Limited ("Formerly known as Link Intime India Private Limited")

("Registrar and Share Transfer Agent" / "RTA"). Address: C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-

Contact Person: Mr. Jai Prakash, VP • Tel: (0) 810 811 6767 E-mail: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

In case the RTA of the Company does not receive any valid claim in respect of the unpaid/unclaimed dividend from the concerned shareholders by **February 27, 2026**, the Company with a view to comply with the Rules, will transfer corresponding shares to the demat account of the IEPF Authority as per the procedure stipulated in the Rules without any further notice to the shareholders. The shareholders may note that no claim shall lie against the Company in respect of unpaid dividend amount and corresponding shares transferred to the IEPF pursuant to said Rules. All benefits accruing on such shares shall also be credited

to IEPF Authority and voting rights on such shares shall remain frozen. The shareholders may claim both, the unclaimed dividend amount and corresponding shares, by making an online application with the IEPF Authority in prescribed Form IEPF-5 available on the website: www.iepf.gov.in and send the physical copy of the said Form duly signed along with the relevant documents enumerated in Form IEPF-5 at the registered/corporate office of the Company.

For IIFL Finance Limited

Samrat Sanyal Company Secretary & Compliance Officer Place: Mumbai Date: December 01, 2025 Membership No.: A13863

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED

A Tata Power and Delhi Government Joint Venture l. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi-110 009 CIN No. U40109DL2001PLC111526, Website: tatapower-ddl.com

NOTICE INVITING TENDERS

TATA Power-DDL invites tenders as p	er following o	details:	
Tender Enquiry No. Work Description	Estimated Cost/EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids
TPDDL/ENG/ENQ/200001890/25-26 SITC of Advanced Distribution Management System (ADMS) and Distributed Energy Resource Management System (DERMS) in TPDDL	32 Crs/ 50 Lac	02.12.2025	23.12.2025;1600 Hrs/ 23.12.2025;1630 Hrs
TPDDL/ENG/ENQ/200001889/25-26 SITC of 66KV & 33KV Control and	2.35 Crs/ 5.53 Lac	03.12.2025	24.12.2025;1600 Hrs/ 24.12.2025;1630 Hrs

Relay Panels Complete tender and corrigendum document is available on our



website www.tatapower-ddl.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

Corporate Identification No. (CIN) - L55101WB1999PLC090672 Registered Office: "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata - 700019 Tel. No.: (91 33) 2283 7964 E-mail: corporate@speciality.co.in Website: www.speciality.co.in.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/ CIR/2025/97 dated July 2, 2025, all shareholders are hereby informed that a Special Window is being opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares.

This facility is available for Transfer deeds lodged prior to April 01, 2019 and which were rejected, returned, or not attended to due to deficiencies in documents/process/or otherwise.

to take advantage of this opportunity by furnishing necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited) at C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. The shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in dematerialized

form. In case of any queries, shareholders are requested to raise a service request

Investors who have missed the earlier deadline of March 31, 2021 are encouraged

at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com or investor@speciality.co.in or logging in to SWAYAM Portal on https://swayam.in.mpms.mufg.com. In addition to the above, attention of shareholders is drawn to the "100 days Campaign - Saksham Niveshak", initiative from the Ministry Corporate Affairs, under which the Company continues to assist shareholders in claiming their

unpaid/unclaimed dividends. The Shareholders who have not claimed their dividends can update their KYC details and claim the said dividends. The process to update the KYC along with draft forms are available on the website of the RTA - https://www.in.mpms.mufg.com

Mode of dispatch -By post: Physical copies, self-attested and dated to MUFG, C 101, 247 Embassy,

LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai 400083 or;

By email: From your registered email ID, with digitally signed documents to rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com or: SWAYAM Portal: Upload via MUFG's portal: https://swayam.in.mpms.mufg.com/

Shareholders are kindly requested to take note of the above instructions and

For Speciality Restaurants Limited

Company Secretary & Legal Head

Date: November 29, 2025

→ Resources → Downloads → KYC → Formats for KYC.

(Membership No. FCS - 8364)

Avinash Kinhikar

ामस्त जनता का सूचना दा जाता है कि मर मुवाक्कल मसस प्राफ्क्टस कापटल प्राइवट लामटङ की शाखा कीयालय 7-इ दानदयाल मनुसंधान संस्थान 5वीं मंजिल, स्वामी रामतीर्थ नगर, रानी झाँसी रोड, झंडेवालान एक्सटेंशन, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली - 110055 में है हुणदाता) आदर्श शिक्षा समिति (उधारकर्ता) और श्री सत्यवीर, सश्री बबीता, श्री ऋषिपाल सिंह, श्री छित्तर और श्री सभाष चंद्र अर्त्र करण्यामा जनसर्वा चाना नाता (जिल्लाक्या) जर्मका स्वेत्वकर्त, हुत जनमात, क्षेत्र केपात स्वेत्वकर्त का कार्यक्राल सह-उधारकती को व्यावसायिक उद्देश्य और आदर्श सत्यदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए क्रण सुधीया प्रदान करने कर १, हालांकि उनके निदेशक श्री छित्तर सिंह (बंधककर्ता) ने उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण को सुरक्षित करने के लिए अनुसूचित संपत्ति प बंधक बनाने पर महमति त्यक्त की है।

कणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता ने मेरे मुविक्कल को पुष्टि की है और घोषित किया है कि ऋणी को अनुसूचित संपत्ति पर दिनांक ांख्या ७४९९ के रूप में विधिवत पंजीकत है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता ने आगे पष्टि की कि 20.10.2004 का मल विक्रय विलेख, जिसका दस्तावेज संख्या 7499 उधारकता/सह-उधारकता/बधककता न आग पुष्ट का कि 20.10.2004 का मूल विक्रय विलख, क्रिसको दस्तावज सख्या 7499 है खो गया है या गलत स्थान पर रख लिया गया है तथा पूरी जांच के बाद भी असका पता नहीं चल पाया है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जिसका उक्त संपत्ति के किसी भी भाग में बिक्री, उपहार, पट्टा, उत्तराधिकार, विनिमय, बंधक

प्रभार, ग्रहणाधिकार, न्यास, लाभकारी हित, कब्जा, सुखाधिकार, किरायेदारी, उप-किरायेदारी, लाइसेंस, दृष्टिबंधक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, मुख्तारनामा, आदेश, डिक्री, अधिनिर्णय कुर्की या किसी अन्य तरीके से कोई अधिकार, शीर्षक, हित या दावा है, को इसके द्वारा लिखित रूप में इसके समर्थन दस्तावेजों के साथ इस तिथि से 14 दिनों के भीतर, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना आवश्यक है, . एमा न करने पर मेरा ग्राहक ऐसे किसी दावे के संदर्भ के बिना ऋण वितरित करने के लिए आगे बढ़ेगा और यदि कोई हो तो उसे माफ क

<u>अनुसूची</u> हल भूमि क्षेत्रफल 0.406 हेक्टेयर, खाता संख्या 857 में से, घाटा संख्या 1628 (क्षेत्रफल 0.286 हेक्टेयर), खाता संख्या 126 में से औ

संपर्क नंबर:-7982557892, ईमेल पता:- varunphogaat@gmail.com कार्यालय पता:- फ्लैट नं. 3, मकान नं. 72, गली नं. 2, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक standard chartered कब्जा सचना सरफेसी अधिनियम की परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

चंकि. स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय संपत्तियों व प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग वे . तहत दिनांक 22.09.2025 को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कर्जदार(ॉ) श्री प्रशांत तयात पुत्र श्री ललित कुमार तयाल / सुश्री दीपनशी तयाल पुत्री श्री ललित कुमार तयाल / श्री ललित कुमार . तयाल पुत्र श्री राम किशोर तयाल /श्रीमती नीतू तयाल पत्नी श्री ललित कुमार तयाल, जिनका ऋण खात संख्या 54264227 है, को कथित सुचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सुचना में उल्लेखित रकम रु. 13,329,822.05 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख उनतीस हजार आठ सौ बाईस एवं पैसे पांच

कर्जदार(1) द्वारा उक्त रकम का भगतान करने में असफल होने के कारण, एतदद्वारा कर्जदार एवं आग जनता को सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा 28 नवंबर 2025 को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभृत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इर संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा दिनांक 28.11.2025 की स्थिति के अनुसार रु. 13,529,650.25 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख उनतीस हजार छह सौ पचास एवं पैसे पच्चीस मात्र) तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरणः-

वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 में स्थित डीडीए एसएफएस फ्लैट सं. 2355, पहली मंजिल, सेक्टर बी पॉकेट 2 एवं 3 क्षेत्र का परिमाप 90 वर्ग मीटर। चौहदी निम्नानुसारः

उत्तर में: स्वत्वाधिकार विलेख के अनुसार दक्षिण में: स्वत्वाधिकार विलेख के अनुसार पूर्व में: स्वत्वाधिकार विलेख के अनुसार पश्चिम में: स्वत्वाधिकार विलेख के अनुसार

दिनांक : 28.11.2025 स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-अधिकृत अधिकारी स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक

HDFC BANK

विशेष परिचालन विभाग. एचडीएफसी बैंक लि., भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1) देखें]

चूंकि, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बैंक हाउस, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल . मुंबई-400013 तथा इसका एक कार्यालय भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ले 110002 में है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण ए नर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत शीर्षांकित अधिनिय की धारा 13(2) के अधीन दिनांक **20-सितम्बर-2022** को एक मांग सुचना जारी की थी, जिसमें कर्जदा **मैसर्स सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड-परिसमापन में,** कार्यालय का पता गर्ग ट्रेड सेंटर, ब्लॉक सराज इराजा इराजा का स्वाचिक नारामामा न, कावालय का पता गर्ग दूड संदर, ब्लॉक सं. 1, तीसरी मंजिल, एसबीआई के पीछे, सेक्टर-11, रोहिणी, नई दिल्ली-110085, गारंटरों के नाम श्री दीपक कुमार, श्री दयानंद, श्री दिनेश कुमार बंसल एवं मैसर्स साइटियस रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर 19-सितम्बर-2022 की स्थिति के अनुसार मांग सूचना में उल्लेखित रकम रु. 26,66,03,340.10 (रुपये छब्बीस करोड़ छियासठ लाख **तीन हजार तीन सौ चालीस एवं पैसे दस मात्र)** के साथ उस पर ब्याज की रकम चुकता करने को कह

कर्जदार, गारंटर(ों) तथा गिरवीदाता(ओं) द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल होने के कारण रतदद्वारा कर्जदार, गारंटर(ों) तथा गिरवीदाता(ओं) एवं आम जनता को सुचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित कथित नियमों के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत एचडीएफसी बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर नीचे वर्णित तारीख एवं समय पर कब्जा कर लिया गया है।

एतदृद्वारा विशेष तौर पर कर्जदार, गारंटर(j) तथा गिरवीदाता(ओं) तथा आम तौर पर जनसाधारण क . सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई र्भ सौदा यहां ऊपर उल्लेखित रकम के साथ उस पर ब्याज की रकम के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटे के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार, गारंटर(j) तथा गिरवीदाता(ओं) का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण कब्ना की तारीख ब्लॉक सं. बी-3, मॉडल टाउन-1, नई दिल्ली में स्थित 200.14 वर्ग यार्ड परिमाप की सम्पूर्ण सम्पत्ति सं. 1 01-दिसम्बर-2025

कृपया ध्यान दें कि कर्जदार यहां परिसमापक के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया है तथा यह सूचना आईबीर्स . 2016 की धारा 52(2) 52(4) तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के प्रावधानों के अधीन उनको सेवित किया गया है। तारीखः-01-दिसम्बर-2025

अनिरुद्ध भागव अधिकत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि

DHAMPUR

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर—246761, यु.पी कॉर्पो कार्यालयः ६वीं मंजिल, मैक्स हाउस, ओखला फेज—॥, नई दिल्ली—110020 CIN: L15249UP1933PLC000511, फोन: 011- 41259400 ईमेल आईडी: investordesk@dhampursugar.com बसाइट: www.dhampursugar.com

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के सभी इक्विटी शेयरघारकों के घ्यानार्थ सार्वजनिक सचना

वित्तीय वर्ष (वि.व) 2018—19 (अंतरिम) के संबंध में अप्रदत्त लामांश तथा ऐसे इक्विटी शेयर जिनका वित्तीय वर्ष 2018-19 से निरंतर सात वर्षों से लामांश अप्रदत्त / अदावाकृत है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण करना कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की घारा 124 (6) के साथ पठित आईईपीएफ प्राधिकरण

(लेखाकरण, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (''नियम''), समय—समय प . यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसरण में, प्रत्येक कंपनी को अनिवार्य रूप से उस अप्रदत्त लामांश् खाते की राशि को आईईपीएफ में स्थानांतरण करना है जिन पर ऐसे खाते के स्थानांतरण कर की तिथि से 7 (सात) वर्षों की अवधि के लिए लामांश अप्रदत्त या अदावाकृत हो।

इस नोटिस के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इन नियमों के मुताबिक, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए जो अंतरिम लामांश घोषित किया था, जो सात साल तक बिना क्लेम के रहा. उसे 06 मार्च. 2026 को आईईपीएफ में टांसफर किया जाना है। जिन शेयरों पर लगाता सात साल तक लाभांश बिना क्लेम के रहा, उन्हें भी नियमों में बताए गए तरीके से ट्रांसफर किया

नियमों में बताई गई अलग-अलग जरूरतों को मानते हए.

कंपनी ने पहले ही उन शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना भेजी है जिनके लामांश पिछले 7 (सात) वर्षों से अदावाकृत हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण वं डीमैट खाते में स्थानांतरण होने के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें सलाह दी गई है कि वे लाभांश का शीघता से दावा करें। ऐसे शेयरघारकों की पूरी सूची, जिन्हें उनसे संबंधित लामांश के विवरण के साथ पत्राचार भेजा गया है, कंपनी की वेबसाइंट http://www.dhampursugar.com पर

इस संबंध में, कृपया नीचे दिए गए बातों पर ध्यान दें:

भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में: शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में धारित है और आर्द्रईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते को स्थानांतरण किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपय नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ उचन्त खाते को शेयरों के स्थानांतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी खप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में स्थानांतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी क सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, बाद में स्वत हीं निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे।

डिमेट मोड में धारित शेयरों के मामले में: शेयरधारक जिनके शेयर डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में है, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के स्थानांतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरण नहीं करेगी जहां ऐसे शेयरों के स्थानांतरण पर रोक लगाने वाले न्यायालय / न्यायाधिकरण के विशिष्ट आदेश हों या जहां डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के तहत शेयरों को बंधक / गिरवी रखा गया हो।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप या तो नीचे दिये गये पते पर कम्पनी के हमारे रजिस्ट्रान या शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास या तो मैनुअल दस्तावेज भेजकर अथवा ई-मेल के माध्यम रं निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज भेजकर अपने दावों को जमा कर दें:

सभी संयुक्त धारको, द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र, यदि कोई हो,

(ii) पैन कार्ड एवं पते का प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति: और

(iii) निरस्त चैक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक आदि की प्रति

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारक से 28 फरवरी, 2026 तक कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बिना कोई सूचना दिये नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए देय तिथि तक उत्तरदायी लामांश और इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित कर देगी।

यह भी नोट करें कि उपरोक्त शेयरों के संबंध में उपार्जित सभी अनुवर्ती कॉर्पोरेट हितलाभ जैसे लाभांश आदि को भी कथित आईईपीएफ डिमेट खाते में जमा कर दिया जाएगा।

कपया नोट करें कि आईईपीएफ डिमेट खाते को लाभांश एवं शेयरों के अंतरण के बाद आ . निर्घारित फॉर्म आईईपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अदावाकृत लाभांश राशि और शेयर दोनों के लिए आप आईईपीएफ प्राधिकरण के पास दावा कर सकते हैं। शेयरों / लाभांश को वापस पाने के लिए दावा करने हेतु एमसीए द्वारा निर्धारित नियम एवं आवेदन पत्र वेबसाइर www.iepf.gov.in पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त विषय में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप नीचे वर्णित पते पर लिख/ई-मेल कर सकते हैं

कंपनी को धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड 6वीं मंजिल मैक्स हाउस ओखला इंडस्टियल एस्टेट, फेज-॥, नई दिल्ली-110020 फोनः 011-41259400

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 27.11.2025

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड यूनिटः धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड अलंकित हाउस 4ई / 2, झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली **— 1100**55

अपर्णा गोयल

कंपनी सचिव

फोनः 011-42541234/23541234 ई-मेल: investordesk@dhampursugar.com ई-मेलः rta@alankit.com कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड 1.ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2.SBI FUNDS MANAGEMENT LIMITED ... RESPONDENTS TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN PLEASE TAKE NOTICE that the Petitioners abovenamed have filed the

above Application, under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925, for the grant of Succession Certificate to the Securities of Mrs.Zerina Dorab Burns, to the Petitioners,

IN THE COURT OF THE DISTRICT JUDGE OF THE NILGIRIS, UDHAGAMANDALAM

(IN THE MATTER OF SUCCESSION CERTIFICATE UNDER SECTION 372 OF ACT XXXIX OF 1925 TO THE SECURITIES OF

MRS.ZERINA DORAB BURNS)

The above O.P. stands posted to the 18th day of December 2025 at 10.30 A.M, for notice to the Public and for objections, if any. Therefore, if anyone has any objections of any nature in the matter, he or

she is at liberty to appear in the Court on the date and time stipulated above and make known to the Hon'ble Court, his or her objections, if any. By order of the Court)
SREE & SREE LAW PARNTERS LLP

ADVOCATES,
"SREE", No.34, MOUNT PLEASANT ROAD. COONOOR-643 102 THE NILGIRIS

(A) IDBI BANK

1.BINAIFER KAIWAAN PATEL

3. LEENA HILL

2.FRAMROZE JAMSHED KALYANVALA

[नियम 8(1)] . कब्जा सूचना

... PETITIONERS

8वीं मंजिल, प्लेट-बी, ब्लॉक-2, एनबीसीसी कार्यालय परिसर,

किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली-110023, दूरभाषः 011-69297100

जबिक, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत अधोहस्ताक्षरी **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, उक्त अधिनियम, धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26.09.2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया गया,जिसरे उधारकर्ता **सतीश कुमार** को नोटिस में बताई गई रकम **08.08.2025 तक रु. 4265995/-** एवं उस पर लगने वाले ब्याज और प्रभार को नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकाने

उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता को विशेषरूप से और सामान तौर पर आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 13 के धारा उप (4) के तहत उसे की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 26.11.2025 के

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतहवारा चेतावनी ही जाती है कि वे उक्त संपत्ति क लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर **08.08.2025** तक **ए.4265995 /-** एवं उस पर लगने वाले ब्याज और प्रभार की राशि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उ धारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान भी आकर्षित किया जाता है। संपत्ति का विवरण

एस ८, द्वितीय तल, ब्लॉक पी, कोणार्क ओएसिस, अलवर बाईपास, भिवाड़ी, तहसीलः तिजारा, राजस्थान–301019 वाली संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश, चौहदी : दक्षिण में: एनए

पश्चिम में: एनए पूर्व में: एनए, साथ ही उस पर स्थित सभी भवन और संरचनाएं और जमीन से जुड़ी या जमीन से जुड़ी किसी भी

चीज से स्थायी रूप से जुड़ी सभी संयंत्र और मशीनरी भी हैं। दिनांकः 26.11.2025

ह./- प्राधिकृत अधिकारी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड Form No. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013

and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar of Companies NCT of Delhi & Haryana, that LETSCRAP, Partnership Firm, may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Ac 2013, as a Company Limited by Share under the name and style of SMAR LETSCRAP PRIVATE LIMITED

The principal objects of the company are

To carry on in India or abroad the busines of waste management, processing, collection segregation, trading and dealing in ferrou and non-ferrous scrap materials, industr waste, electronic waste, plastic, paper and allied products, and to undertake all activities related to environmental sustainability resource recovery, complianceand waste-tovalue services.

A copy of the draft Memorandum and Article of Association of the proposed company ma be inspected at the office of the firm at: LETSCRAP 11C, Bellevue Tower 6, Sohr Road Central Park 2, Sector 48, Gurugra

122018, Haryana, India. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate heir objection in writing to the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, IFC ower, 61 Nehru Place, New Delhi - 110019 within twenty-one (21) days from the date of roposed company at its registered office

Dated this 02nd day of December 2025

For LETSCRAPS/d 1. Mr. Anuj Bhatnaga (PAN: AJVPB0234B) S/o Mr. Prem Swaroop Bhatnaga Address: 11C, Bellevue Tower 6, Sohna Road, Central Park 2, Sector 48 Gurugram - 122018

2. Mr. Amit Gautan (PAN: AGQPG8573Q) S/o Mr. Avadesh Kumar Gautar Address: 1097 V Block Kidwai Naga Kanpur Nagar, Uttar Pradesh - 20801

3. Mr. Udaibhan Singl (PAN: EPOPS2643L) S/o Mr. Ishwar Singl Address: Badbar, Jhunihuni Raiasthan - 333502 PLACE: GURURAM, HARAYNA

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **बिश्चनाथ मंडल और** रिंकू मंडल को 15.05.2025 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDPR00546096 की राशि रू. 26,60,701.92 (रूपये छब्बीस लाख साठ हजार सात सौ एक और बानवे पैसे मात्र) और 14.05.2025 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.11.2025 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 26.60.701.92 (रूपये छब्बीस लाख साठ हजार सात सौ एक और बानवे पैसे मात्र)14.05.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

बेअरींग भाग नं. ८, ऊपरी भूतल पर, टेरेस और छत के अधिकार के बिना. (पीछे दाहिने हाथ की ओर / उत्तर-पूर्व भाग), कार पार्किंग के साथ, सामान्य सुविधाओं के सामान्य अधिकार के साथ, और नीचे की भूमि के पार्किंग . प्रत्येक मंजिल की ऊँचाई लगभग 10 फीट. और स्टिल्ट पार्किंग लगभग 9 फीट और निर्मित संपत्ति की ऊँचाई 9 से 19 फीट की बीच, भूमि क्षेत्र माप 80 स्क्वे. यार्डस, (66.88 स्क्वे. मीटर्स), खसरा संपत्ति में से खसरा नं. 449/3 से बाहर और 450/1/1, रुद्राक्ष अपार्टमेंट में, मुंडा मेट्रो पार्किंग के पीछे, मुंडका गाँव के विस्तारित लाल डोरा में स्थित, दिल्ली 110041।

दिनांक : 27.11.2025 स्थान : दिल्ली

प्राधिकत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड

(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **बिश्वनाथ मंडल और** रिंकू मंडल को 15.05.2025 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLBHD00557710 की राशि रू. 31,09,796.08 (रूपये इकतीस लाख नौ हजार सात सौ छियानवे और आठ पैसे मात्र) और 14.05.2025 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.11.2025 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 31,09,796.08 (रूपये इकतीस लाख नौ हजार सात सौ छियानवे और आठ पैसे मात्र)14.05.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

बेअरींग नं.9 का भाग, ऊपरी भूतल पर, टेरेस और छत के अधिकार बिना, (पीछे बाईं हाथ की ओर का भाग)/कार पार्किंग के साथ, सामान्य सुविधाओं के सामान्य अधिकार के साथ और उक्त संपत्ति के नीचे की भूमि के आनुपातिक अधिकारों के साथ, स्टिल्ट पार्किंग के साथ बिल्डींग की कुल ऊँचाई लगभग 49 फीट, हर मंजिल की ऊँचाई लगभग 10 फीट और स्टिल्ट पार्किंग लगभग 9 फीट और संपत्ति 9 से 19 फीट ऊँचाई के बीच निर्मित भूमि क्षेत्र 80 स्ववे यार्डस (66 88 स्ववे मीटर्स), खसरा नं, 449/3, और, 450/1/1 में से संपित्ती, रुद्राक्ष अपार्टमेंट में, मुंडा मेट्रो पार्किंग के पीछे, गाँव मुंडका के विस्तारित लाल डोरा में स्थित, दिल्ली 110041.

पूर्व : फ्लैट नं. 8/ अन्य की संपत्ति उत्तर : अन्य की संपत्ति

पश्चिम : अन्य की संपत्ति दक्षिण : फ्लैट नं. 10/ सड़क 16 फीट चौड़ी

दिनांक : 27.11.2025 स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

�ICICI Home Finance पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-

. नेगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई— 400059 शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, द्वितीय तल, विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 17/18, यशोदा चिकित्सालय के पीछे, कौशांबी, गाजियाबाद, उत्त प्रदेश— 201010

जबकि. ननन, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के अंतर्गत और पतिमति हित (पवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ३ के साथ प्रतित जक्त अधिनियम की घारा १३(१२) के अंतर्गत पहल मिक्सियों के प्रयोगांतर्ग

बुँकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिमृगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरक

भे यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत निम्नांकित तिथियों पर अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृहारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता का नाम / ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण / अधिग्रहण की तिथि	माँग सूचना की तिथि/ माँग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	चंदर (ऋणकती), राजवती (सह—ऋणकती) LHFDB00001456579	भूखंड सं. 430, एमसीएफ नं. 2571, खसरा एमयू. नं. 97 में से, किला नं. 22/3, 22/2, वाका मोजा बड़खल, एसजीएम नगर, तहसील एवं जनपद— फरीदाबाद, हरियाणा— 121001 में स्थित, भूमि क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, आवृत्त क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट तथा इस प्रकार परिसीमित है:— उत्तर: प्लॉट नं. 429, दक्षिण: 430 का शेष भाग, पूर्व: शेष भाग, पश्चिम: सड़क 15 फुट चौड़ी / अधिग्रहण की तिथि— 28—नवंबर—2025	₹. 20,31,607.4 / —	फरीदाबाद

ऊपर-वॉर्णत ऋणकर्ता(ओ) / गारंटर(रों) को एतदद्वारा निर्घारित बकाया राशि का प्रतिमुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूबना दी जाती है, अन्यथा बंधककृ संपिरियों का, इस सूबना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार विक्रम कर दिया जायेगा।

दिनाँक : 02 दिसंबर 2025 स्थान : फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटे

सांकेतिक कब्जा सूचना

FICICI Home Finance पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051

। कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एवएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई– 400059 शाखा कार्यालयः आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, द्वितीय तल, विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट संख्या 17/18, यशोदा अस्पताल के पीछे

कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010

जबाक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 के अधीन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने निर्देशित तिथियों को मांग सूचना जारी की गयी थी जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। - कर्जा का अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कर्जुदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने

इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उस्त अधिनेयम की शरा अर्थ, अर्थ मान्य प्रकार पाना जान जाना कुरता जन्म जानी ह इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उस्त अधिनेयम की शरा 13(4), के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांकों ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को एतदद्वारा उस्त संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते

लानचन न करने के लिए ताविया किया जाति है तथा तथारी के तीर्थ कोई ने लग देन जाइताजाइताजाइ होने काइनत क्यानी लागटिड के प्रमार पारा बकाया राशि इत्यादि सहित के अधीन होगा। कर्जबार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर

आक	भाकषित किया जाता है।			
क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम/ऋण खाता नं.	सम्पत्ति का विवरण/ कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/ मांग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	सोनू त्यागी (उधारकर्ता), सीमा (सह—उधारकर्ता), LHMRT00001556955	मकान सं. बी—400, पॉकेट—बी, (उच्च आय वर्ग), भूमि सं. सी—400 पर निर्मित, पुलिस एन्क्लेव, लोहिया नगर आवासीय योजना भेरठ, मेरठ— 250001, उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर, कवर्ड क्षेत्रफल 156 वर्ग मी, सीमाएं— उत्तरः 9 भी., फिर प्लॉट सं. बी—413, दक्षिणः 9 भी., फिर प्लॉट सं. बी—413, दक्षिणः 9 भी., फिर प्लॉट सं. बी—399 / कब्जे की तिथिः 28 नवम्बर, 2025	15-09-2025 ▼. 28,05,915.75/-	मेरठ
2.	सोनू त्यागी (उधारकर्ता), सीमा (सह—उधारकर्ता), LHMRT00001556969	मकान सं. बी—400, पॉकेट—बी, (उच्च आय वर्ग), भूमि सं. सी—400 पर निर्मित, पुलिस एन्क्लेव, लोहिया नगर आवासीय योजना मेरठ, मेरठ— 250001, उत्तर प्रदेश कुत क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर, कवर्ड क्षेत्रफल 156 वर्ग मी., सीमाएं:— उत्तरः 9 मी., फिर प्लॉट सं. बी—413, दक्षिणः 9 मी., फिर 12 मी. चौड़ी सड़क, पूर्वः 18 मी., फिर प्लॉट सं. बी—401, पश्चिमः 18 मी., फिर प्लॉट सं. बी—399 / कब्जे की तिथिः 28 नवम्बर, 2025	15-09-2025 v. 83,546/-	मेरठ

. ज्यर्युक्त उघारकर्ता(ओ)/ सह–उघारकर्ता(ओ)/ गारंटर(रॉ) को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर प्रतिभिृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दिया दिनांकः 02.12.2025 स्थानः मेरठ प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

FICICI Home Finance पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई— 400059

शाखा कार्यालय : कार्यालय सं.– ८, द्वितीय तल, समृद्धि बिजनेस सुइट्स, ३८/४–ए, संजय प्लेस, आगरा– २८२००२

. अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न संवर्णित ऋणकर्ताओं को माँग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 6 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा गया था। हुँकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभागतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सुचित किया जाता है वि

. हांबोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के अंतर्गन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत निम्नांकित तिथियों पर अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतददारा सामान्य रूप माराधीन होगा। . सणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (a) के प्रावधानों व

ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	10 17 11 / 110 117 11	संपत्ति का विवरण / अचिग्रष्ठण की तिथि	माँग सूचना की तिथि / माँग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	परी साड़ी कलेक्शन (ऋणकर्ता), आरती भार्गव (पत्नी गौरव भार्गव) (सह—ऋणकर्ता), स्वर्गीय बिशन कुमार	लोहामंडी वार्ड आगरा उत्तर प्रदेश— 282001 में स्थित तथा सीमा	₹.	आगरा
	भागंव (सह-ऋणकर्ता), गौरव भागंव (पुत्र स्वर्गीय बिशन कुमार भागंव) (सह-ऋणकर्ता) LHAGR00001312315	इस प्रकार परिसीमित हैं :- उत्तर- सीढ़ियाँ, दक्षिण- खुला स्थान, पूर्व- स्थान की ओर खुला, पश्चिम- गतियारा तथा आकाश की ओर खुला / अधिग्रहण की तिथि : 27-नवंबर-2025	43,86,955.8 / —	
2	भार्गव (सह-ऋणकर्ता), गौरव भार्गव (पुत्र स्वर्गीय बिशन	पलैट नं 401, चतुर्थ तल पारस पर्ल्स मोह. अली ग्राम खतेना लोहामंडी वार्ड आगरा उत्तर प्रदेश— 282001 में रिखत तथा सीमा इस प्रकार परिसीमित है :— उत्तर— सीदियाँ, दक्षिण— खुला स्थान, पूर्व— स्थान की ओर खुला, पश्चिम— गलियारा तथा आकाश की ओर खुला / अधिग्रहण की तिथि : 27—नवंबर—2025		आगरा
3.	परी साड़ी कलेक्शन (ऋणकर्ता), रवर्गीय विशन कृमार भार्गव (सह—ऋणकर्ता), गौरव भार्गव (पुत्र स्वर्गीय विशन कुमार भार्गव) (सह—ऋणकर्ता), आरती भार्गव (पत्नी गौरव भार्गव) (सह—ऋणकर्ता) LHAGR00001312317		25−07−2024 ₹. 13,20,307 / −	आगरा

ऊपर-वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतदद्वारा निर्घारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत नियत प्रावधानों के अनुसार, विक्रय कर दिया जायेगा। दिनाँक : 02 दिसंबर 2025 स्थान : आगरा प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेव

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

स्थान : उत्तर प्रदेश

दिनांक: 02.12.2025

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोर अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069. **आगरा शाखा –** ऑफिस नंबर 504, 5वीं मंजिल पर, बिजनेस स्क्वायर, ब्लॉक-ई- 15/8, संजय प्लेस, आगरा - 282002 (उ.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट ४ (अचल संपत्ति हेतू) जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का

नियम 3 के साथ संपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ / प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभूगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ संपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। घरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क

के विषयानुसार होगी। ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) मांग सूचना का आधिपत्य धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति) (शाखा का नाम) की दिनांक संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 142 पर **1** (लोन कोड न. 01400002171/ 08-09-2025 आगरा शाखा) मकान, देहरोथा नं.2, शाहगंज, लोहामंडी वार्ड (बंधक क्षेत्रफल 29-11-2025 & राहुल कुमार (ऋणी) 48.02 वर्गमीटर) आगरा, उत्तरप्रदेश 28200 1 ₹ 14.99.392/ माया देवी (सह-ऋणी) चर्तुसीमाएँ:- पूर्व- नेमी चंद का प्लॉट, पश्चिम- अमरीश पुरी की सुमित कुमार (जमानतदार) संपत्ति, उत्तर- सोरेन की संपत्ति, दक्षिण- 8 फीट चौडा रास्ता

प्राधिकृत अधिकारी

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — every day with The Compass in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

> **Business Standard Insight Out**